न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.
मिसल नं. ::: 133 / 2017

सरकार बनाम रामभगत, सज्जनसिंह पुत्र नाहरसिंह, जाति–नायक, निवासी– सेहीकलां

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 29.09.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल रामभगत स्वयं उपस्थित। गैर सायल सज्जनसिंह की ओर से उसका पुत्र नितेश उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान रामभगत, सज्जनसिंह पि. नाहरसिंह, जाति–नायक, निवासी– सेहीकलां द्वारा रोही मौजा सेहीकलां की राजकीय भूमि ख.नं. 152 कुल रकबा 4.50 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.02 है0 भूमि पर पुख्ता चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गये। गैर सायल रामभगत स्वयं ने तथा गैर सायल सज्जन सिंह की ओर से उसके पुत्र ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किये जिसमें इस भूमि में पूर्वजों के समय से काबिज बताया गया है। गैर सायलान ने अपने दावे के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य / सबूत पेश नही किया जिससे उनका कब्जा विधिक साबित होता हो। गैर सायलान का जवाब संतोषप्रद नही माना जा सकता। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० ... के पृष्ठ ... 05 ... पर
वर्ष 2017-18 ... 6/- ... कायम कि...
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़